लेखा · योग

११८. परामर्श शुल्क एवं जन-सेवी संस्थाएँ - २ अक्टुबर ०५ / रा· आश्विन १९२७; प्रकाशित - फरवरी ०७

इस अङ्क में

घ· विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (विअविअ) १
विअविअ सिद्धान्त १
विअविअ व्यवहार ३
२· लेखाङ्कण पहलू ३
क· रोकड़-आधार ३
ख· प्रोद्भवन-आधार ३
ग· स्रोत-पर-कर-कटौती की प्रविष्टि ३
घ· स्रोत-पर-कर-कटौती की वापसी के लिए प्रविष्टि ४

लेखा-योग के अङ्क संख्या ११७ से क्रमशः ...

लेखा-योग के पिछले अङ्क में जन-सेवी संस्थाओं को परामर्श-सेवाओं से होने वाली आय के विभिन्न सैवधानिक पहलुओं पर चर्चा की गई थी। इस अङ्क में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।

घ· विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (विअविअ)

यदि परामर्श-शुल्क किसी भारतीय स्रोत से प्राप्त हुआ है तो इस सम्बन्ध में विअविअ की कोई भूमिका नहीं होती। तथापि, यदि आय किसी विदेशी स्रोत[१] से प्राप्त होती है तो परिस्थिति अधिक जटिल हो जाती है।

विअविअ सिद्धान्त

इस भिन्नता का कारण यह है कि 'विदेशी अभिदाय' की परिभाषा द्वारा विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों में कोई भिन्नता नहीं की जाती है। इसमें 'दान (डोनेशन), सुपुर्दगी (डिलिवरी) या अन्तरण (ट्रान्सफर)' नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें दान, अनुदान, शुल्क, ऋण एवं अन्य सभी प्रकार की प्राप्तियाँ सम्मिलित होंगी।

> **"Section 2(1)(e):** "foreign contribution" means the donation, delivery or transfer made by any foreign source,-
>
> (i) of any article, not being an article given to a person as a gift for his personal use, if the market value, in India, of such article, on the date of such gift, does not exceed one thousand rupees;
>
> (ii) of any currency, whether Indian or foreign;
>
> (iii) of any foreign security as defined in clause (i) of section 2 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973);
>
> Explanation– A donation, delivery or transfer of any article, currency or foreign security referred to in this clause by any person who has received it from any foreign source, either directly or through one or more persons, shall also be deemed to be foreign contribution within the meaning of this clause;"

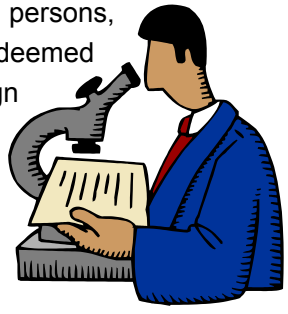

[१] विदेशी स्रोत से क्या अभिप्राय है? निश्चय ही विदेशी दातव्य-संस्थाओं को विदेशी स्रोत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी निगमों को भी विदेशी स्रोत कहा जाता है। इसके साथ-साथ किसी भारतीय जन-सेवी संस्था द्वारा दी गई विअविअ की राशि को भी विदेशी स्रोत ही माना जाता है। इससे सम्बन्धित अधिक जानकारी के लेखा-योग की अङ्क संख्या ८४: विअविअ में 'विदेशी स्रोत' देखें।

यदि हम धारा ८ में दिए गये अपवादों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हैं तो स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। धारा ८ के अन्तर्गत कुछ प्रकार की प्राप्तियों को विदेशी अभिदाय की परिभाषा से मुक्त रखा गया है। इस छूट के लाभ को धारा ४[२] में उल्लेखित व्यक्तियों के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। धारा ८ का उल्लेख यहाँ किया गया है:

"Section 8. Persons to whom Section 4 shall not apply-

Nothing contained in section 4 shall apply to the acceptance, by any person specified in that section, of any foreign contribution, where such contribution is accepted by him, subject to the provisions of section 10-

(a) by way of salary, wages or other remuneration due to him or to any group of persons working under him, from any foreign source or by way of payment in the ordinary course of business transacted in India by such foreign source; or

(b) by way of payment in the course of international trade or commerce, or in the ordinary course of business transacted by him outside India; or...

(f) by way of remittance received, in the ordinary course of business, through any official channel, post office, or any authorised dealer in foreign exchange under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973)...."

यहाँ देखा जा सकता है कि सभी उपवाक्य ए, बी और एफ शुल्क की तरह गैर-अनुदान-भुगतान हैं। इसलिए स्पष्ट है कि यदि धारा २(१)(ई) की परिभाषा के अन्तर्गत 'शुल्क' नहीं आता होता तो इस छूट[३] का उल्लेख व्यवसायिक-आय के रूप में विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती।

परामर्श शुल्क एवं विअप्रनि बिल

इस संवैधानिक पहलू का एक और आधार है। अभी हाल ही में[४] सरकार ने विदेशी अभिदाय (प्रबंधन एवं नियंत्रण) बिल, २००५ नामक एक नया बिल तैयार किया है। इस बिल में एक नया स्पष्टीकरण सम्मिलित किया गया है:

"Explanation 3, section 2(1)(f): Any amount received, by any person from any foreign source in India, by way of fee for attending any conference held in India or as subscription for a journal or printed material published in India or as tuition fee for studies in an educational institution in India or *in lieu of services rendered by such person*, shall be excluded from the foreign contribution within the meaning of this clause." [emphasis added]

इस स्पष्टीकरण के अनुसार परामर्श-सेवाओं से

---

[२] राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, आदि।

[३] जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये रियायतें केवल धारा ४ में उल्लेखत व्यक्तियों पर ही लागू होती है। ये रियायतें धारा ६ में सम्मिलित जन-सेवी संस्थाओं पर लागू नहीं होती।

[४] जून २००५

प्राप्त होने वाले प्राप्तियों को विदेशी अभिदाय नहीं माना जाएगा। इस स्पष्टीकरण का उल्लेख करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि वर्तमान परिभाषा में परामर्श सेवाओं से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को भी विदेशी अभिदाय माना जाता है।

कृप्या ध्यान दें कि यह प्रावधान विअप्रनि (एफसीएमसी) बिल २००५ में अन्तर्निहित है। इस बिल ने अभी तक कानून का रूप नहीं लिया है। विअप्रनि बिल को प्रभावी कानून बनने में दो या तीन वर्ष लग सकते हैं।

विअविअ व्यवहार

तथापि, व्यवहार में विअविअ विभाग परामर्श-शुल्क को विदेशी अभिदाय नहीं मानता है। अभी तक ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है जिसमें विअविअ विभाग ने किसी विदेशी छात्र से शुल्क स्वीकार करने के लिए किसी विद्यालय को कारण-बताओ-नोटिस जारी किया हो। इसी प्रकार से किसी भी जन-सेवी संस्था को विदेशी संस्थाओं से परामर्श शुल्क स्वीकार करने या विदेशियों को माल बेचने के लिए अभियोजित नहीं किया गया है।

विअविअ विभाग के इस उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही विअप्रनि बिल की धारा २(१)(एफ) में इस स्पष्टीकरण को सम्मिलित किया गया है। इस स्पष्टीकरण को पूर्व के परिच्छेद-खण्ड (पैराग्राफ) में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

२· लेखाङ्कण पहलू

कोई व्यक्ति परामर्श-आय का लेखाङ्कण किस प्रकार से करता है ? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह लेखाङ्कण रोकड़-आधार पर करता है अथवा प्रोद्भवन (एक्रुअॅल) आधार पर।

क· रोकड़-आधार

इस आधार पर प्रविष्टि उस समय की जाती है जब परामर्श-आय वास्तव में प्राप्त होती है। तथापि यदि आपको कोई राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त होती है तो उस राशि को आय के रूप में तब तक लेखाङ्कण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कार्य पूरा नहीं होता है। निम्नलिखित तालिका में इस प्रकार की प्रविष्टियों का एक उदाहरण दर्शाया गया है:

१. अग्रिम प्राप्त होने पर

नामे: बैंक / रोकड़	१०,०००
जमा: ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	१०,०००

२· अन्तिम भुगतान प्राप्त होने पर

नामे: बैंक / रोकड़	८५,०००
नामे: ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	१०,०००
नामे: वसूली-योग्य स्रोत-पर-कर-कटौती	५,०००
जमा: परामर्श-आय	१,००,०००

ख· प्रोद्भवन-आधार

प्रोद्भवन-आधार में आय का लेखाङ्कण बिल तैयार करते समय या कार्य के पूरा होने के समय किया जाता है। इसलिए इस प्रविष्टि की प्रकृति थोड़ी भिन्न होती है:-

१· अग्रिम प्राप्त होने पर:-

नामे: बैंक / रोकड़	१०,०००
जमा: ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	१०,०००

२· बिल तैयार करने के समय या भुगतान देय होने पर

नामे: ग्राहक	९०,०००
नामे: ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	१०,०००
जमा: परामर्श-आय	१,००,०००

३· अन्तिम भुगतान प्राप्त होने पर

नामे: बैंक / रोकड़	८५,०००
नामे: वसूली-योग्य स्रोत-पर-कर-कटौती	५,०००
जमा: ग्राहक	९०,०००

ग· स्रोत-पर-कर-कटौती की प्रविष्टि

यदि स्रोत-पर-कर-कटौती (टी० डी० एस०) की गई है तो आपको इस आशय की प्रविष्टि अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रविष्टि को उपर दर्शाया गया है। यदि आप रोकड़-आधार पर लेखाङ्कण करते हैं तो इस प्रविष्टि को करना अत्यन्त

महत्वपूर्ण है।

घ· स्रोत-पर-कर-कटौती की वापसी के लिए प्रविष्टि

स्रोत-पर-कर-कटौती की वापसी अगले वर्ष या एक-दो वर्ष के पश्चात् भी हो सकती है। तब तक स्रोत-पर-कर-कटौती की राशि को तुलन-पत्र में वसूली-योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाएगा।

आयकर विभाग से वापसी की राशि का धनादेश प्राप्त होने पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगीः-

नामेः बैंक / रोकड़		५,०००
	जमाः वसूली-योग्य स्रोत-पर-कर-कटौती	५,०००

इसके अतिरिक्त धनादेश को तत्काल बैंक खाते में जमा करवा दें। क्योंकि यह धनादेश केवल तीन माह के लिए वैद्य होता है और प्रायः यह आपके पास सुस्त-डाक के माध्यम से ८० वें दिन ही पहुँचता है।

विचित्र कर

ऐतिहासिक दृष्टि से राजाओं एवं सरकारों ने करों का दायरा बढ़ाने के लिए कई प्रकार के नए कर लगाए। इसका एक उदाहरण मनोरंजन कर है। अनिवार्यतः यह कर हँसने पर ही लगाया गया है जो कि आज भी प्रचलित है। इस प्रकार के कुछ अन्य विचित्र कर निम्नलिखित हैंः-

दाढ़ी करः यह कर रूस में महान पीटर (१६८२-१७२५) द्वारा लगाया गया था। निर्धन व्यक्ति को भी दाढ़ी रखने के लिए एक *कोपेक* (ताँबे का रूसी सिक्का) का भुगतान करना होता था। धनी व्यक्ति को १०० *रूबल* (रूसी मुद्रा) वार्षिक का भुगतान करना होता था। दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को अपने पास दाढ़ी रखने का एक लाइसेंस रखना होता था जिस पर यह लिखा होता था कि "दाढ़ी एक हास्यास्पद आभूषण है"।

नाक करः यह कर ९वीं शताब्दी में डेनिश द्वारा आइरिश निवासियों पर लगाया गया था। यह कर सोने के एक औंस के समान होता था। जो लोग इस कर का भुगतान नहीं करते थे उनकी नाक काट कर उनको दण्डित किया जाता था। सम्भवतः "paying through one's nose" नामक कहावत का उद्गम यहीं से हुआ होगा।

स्रोत-पर-कर-कटौती की वापसी के धनादेश को भारतीय बैंक खाते में जमा करनी चाहिए या विअविअ बैंक खाते में ? यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसके मूल प्राप्ति को विअविअ प्राप्ति मानते हैं या भारतीय प्राप्ति।

यदि शुल्क का मूल प्राप्ति का धनादेश विअविअ बैंक खाते में जमा किया गया है तो वापसी का धनादेश भी विअविअ बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि शुल्क का मूल प्राप्ति का धनादेश भारतीय बैंक खाते में जमा कराया गया है तो वापसी का धनादेश भी भारतीय बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

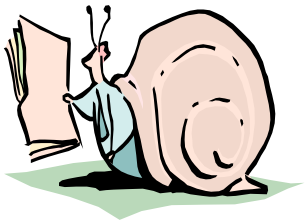

इस पहलू के सम्बन्ध में लेखा-योग के अङ्क संख्या ११७ में पहले ही विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग २७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध है। चयनित लेखा·योग अङ्कों का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

अकाउण्टएड सम्पुटिका - जनसेवी संस्थाओं के लेखाङ्कन एवं इससे सम्बन्धित विषयों पर लघु जानकारी अकाउण्टएड सम्पुटिका में दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए accountaid-subscribe@topica.com पर ई-प्रेष करें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली - ११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् पौष २०६३; दिसम्बर २००६ ईस्वी।

अकाउण्टएड इण्डिया, नई दिल्ली के लिए श्रीमती रेणू अग्रवाल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८।

tGD/rAB/sAB,SA/fAB/cpSA